		any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties. **Desirable:** One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital. **Note 1:** Candidates appointed on direct recruitment are required to qualify the Basic Recruit Training Course within a period of two years from the date of appointment. Not more than two chances will be given to qualify the Basic Recruit Training Course failing which services shall be terminated. **Note 2:** The candidates on direct recruitment will also undergo the courses as prescribed by the Director General, Sashastra Seema Bal from time to time.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Commandant, Sashastra Seema Bal - Chairman 2. Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal - Member; and 3. Assistant Commandant (Veterinary), Sashastra Seema Bal - Member	Not applicable.

[F. No. 4/3/SSB/CSC/BN/Vety/2016/SFS]

VINOD KUMAR, Under Secy.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 284.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में स्टाफ कार ड्राइवरों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	1 (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित(अननुसचिवीय)	स्तर-5 (29200-92300 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनुयक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) के स्तर-4 में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की है या ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-II और स्टाफ कार ड्राइवर(सामान्य श्रेणी) की

		श्रेणी में 15 वर्ष सम्मिलित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित(अननुसचिवीय)	स्तर 4 (25500-81100 रु.)

(5)	(6)
अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) के स्तर 2 में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव,(स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
1.स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	2* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित(अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200 रु.)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। **टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) ।

(7)	(8)
आवश्यकः i. मोटर कारों के लिए कोई विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति का होना; ii. मोटर यंत्र-क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी मोटरयानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए); iii. मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और iv. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य, **वांछनीयः** (i) होमगार्ड/सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा **टिप्पणी 1.** सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता उन अभ्यर्थियों के मामले में जो अन्य प्रकार से सुयोग्य हैं, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2.** यदि चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के	लागू नहीं होता

उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 3.** अभ्यर्थियों को पद के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सक्षमता मानकों के संदर्भ में पद के लिए अनुकूलता का निर्णय करने के लिए ट्रेड परीक्षा और कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।	

(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलनः** रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु-) स्तर 1 में ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, और जो उन्हें मोटरकार चलाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए ली गई चालन परीक्षा के आधार पर मिली हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पदधारण करनेवाले ऐसे पदधारियों या वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) स्तर- 1 में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ (7) यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजनः सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग - - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12011/2/2017-स्थापना]

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, 21st August, 2018

G.S.R. 284-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Chemicals and Petrochemicals (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Drivers in the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Chemicals and Petrochemicals (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix .—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Grade I).	1 (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300/-).

Whether selection post or non selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	(6)
Non- Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

Period of Probation if any.	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver Grade-II in level-4 in the pay matrix Rs. (25500-81100/-) with six years regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishent), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
1. Staff Car Driver (Grade II).	2 (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100/-).

(5)	(6)
Non selection	Not applicable

(7)	(8)
Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200/-) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Staff Car Driver. (Ordinary Grade).	2 Two (2018) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200/-).

(5)	(6)
Not applicable.	Between 18 - 25 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)
Essential: (i) possession of a valid driving license for motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles); (iii) experience of driving a motor car for at least three years; and (iv) pass in 10^{th} standard or equivalent from a recognised board or institution. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note 1 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent	Not Applicable

authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Note 3.:** The candidates shall be required to qualify the trade test and skill test designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential for the post.	

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation or absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment.	**Deputation or absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group 'C') and Group 'C' employees in pay in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in the Department of Chemicals and Petrochemicals who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in Pay Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Not applicable.

[F .No. A-12011/2/2017-Estt.]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 285.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2011 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति**-—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।